घरेलू कामगार मंच

सि. रंजीता

एक दशक पहले जब सोलह साल की प्रिया (बदला हुआ नाम) को झारखंड के सिमडेगा गांव से दिल्ली की कोटला मुबारकपुर स्थित लक्ष्मी माता प्लेसमेन्ट सर्विस में लाया गया था तब उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वह एक शोषित, घरेलू कामगार बन जाएगी। प्रिया बहुत मेहनत से काम करती थी लेकिन मालकिन संतुष्ट नहीं थी। उसके साथ मार-पीट व दुर्व्यवहार किया जाता था। सबक सिखाने के लिए उसे वाईपर से मारा जाता, यहां तक कि चाकू से भी गोदा जाता था। छोटी-मोटी गलतियों पर भी उससे इतना बुरा सुलूक किया जाता था जैसे कि वह इन्सान ही ना हो। सबसे तकलीफ़देह बात यह थी कि हर महीने नियमित समय पर उसका एजेंट आकर उसकी महीने भर की कमाई मालिक से ले जाता था। प्रिया को खाली हाथ रहना पड़ता था। पर यह कहानी अकेली प्रिया की नहीं है। यह उन तमाम लड़कियों की कहानी है जिन्हें घरेलू कामगार के रूप में महानगरों में लाया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के अनुसार घरेलू कामगारों की स्पष्ट परिभाषा है "वे जो निजी घरों में वेतन के एवज़ में घरेलू काम करते हैं।"

शहरी घरों में घरेलू कामगारों, खासकर महिला कामगारों की सबसे ज़्यादा मांग है। ये हमारे रोज़मर्रा के जीवन का अहम हिस्सा हैं। अपने घरेलू कामों के लिए इन पर हम निर्भर हैं। हम इन्हें रोज़ देखते हैं फिर भी हमारे लिए ये अधिक अहमियत नहीं रखती। घरेलू कामगारों की समस्या महत्वपूर्ण है, ये समाज का एक बड़ा हिस्सा है परन्तु ये आर्थिक व सामाजिक रूप से अदृश्य व दरकिनार हैं क्योंकि इनके काम को लेकर अनेकों मिथक लोगों के मन में विद्यमान हैं।

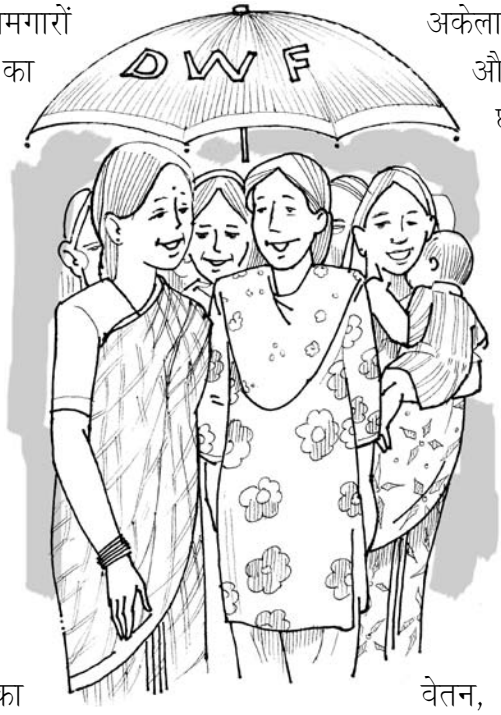

ज़्यादातर घरेलू काम करने वाली औरतें, लड़कियां और बच्चे दूर-दराज़ के गांवों से नौकरी व बेहतर ज़िन्दगी की खोज में शहर आती हैं। ये शहरी घरों में काम तो करने लगती हैं पर इन्हें गैस जलाना, मशीनों का इस्तेमाल, झाड़-पोंछ या सफाई करना, बच्चों व बीमारों का देखभाल करने जैसे काम करने का सलीका नहीं आता। इसलिए घरों में उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता तथा ज़्यादा काम करवाया जाता है। इन जगहों पर भी उनके लिए सब कुछ नया सा होता है। उन्हें घबराहट व अकेलापन महसूस होता है। अनेक तकलीफों और दुर्व्यवहार सहने पर भी वे काम छोड़कर मालिक के घर से बाहर नहीं जा पातीं।

एक घरेलू कामगार की रोज़ की दिनचर्या का विश्लेषण करने पर पाया जाएगा कि उसका काम सुबह साढ़े चार बजे शुरू होता है और देर रात से पहले खत्म नहीं होता। इस थका देने वाली व्यस्त दिनचर्या से उसे एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती। और न ही मनोरंजन या सामाजिक मोल-जोल का कोई मौका।

लाखों कामगारों को अपना वाजिब वेतन, हफ्तावार छुट्टी, मासिक व वार्षिक

अवकाश नहीं मिलता। कानूनी हैसियत के अभाव में घरेलू कामगार हमेशा अपने मालिकों के रहमोकरम पर निर्भर रहती हैं। मालिकों व एजेंटों के हाथों खामोशी से दुख सहना उनकी मजबूरी बन जाता है। कभी-कभी तो उनके ऊपर शारीरिक व यौनिक हिंसा के अलावा चोरी और हत्या का इल्ज़ाम भी लगा दिया जाता है। जलकर दुर्घटनावश मर जाना भी इस हिंसा में शामिल होता है।

दिल्ली में घरेलू कामगार औरतों, लड़कियों और बच्चों की यह अफ़सोसजनक स्थिति देखकर सन् 2002 से *घरेलू कामगार मंच* ने कामगारों के साथ काम करना शुरू किया और 2004 में एक परोपकारी संस्था के रूप में इसका पंजीकरण हुआ। इस मंच का लक्ष्य है घरेलू कामगारों के शोषण और महानगरों में औरतों व बच्चों के अवैध व्यापार की रोकथाम। *घरेलू कामगार मंच* ने घरेलू कामगारों के लिए ऐसी जगह की स्थापना की है जहां पर वे इकट्ठी होकर अपने मित्रों के साथ खुशी, दुःख व तकलीफों को बांटती हैं, और अपने साथ हुए अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ सकती हैं।

यह मंच घरेलू कामगारों को-

- आत्मसम्मान के साथ जीने
- अपनी पहचान को महफूज़ रखने
- मानवाधिकारों की रक्षा करने
- उचित वेतन व काम को मान्यता दिलाने के लिए सशक्त बनाता है।

कामगारों को संगठित करने, उनकी बात सुनने और अधिकारों व न्याय के लिए संघर्ष को नैतिक समर्थन देने के लिए *घरेलू कामगार मंच* एक रविवारी सभा भी आयोजित करता है।

पिछले कुछ सालों में *घरेलू कामगार मंच* ने घरेलू कामगारों की समस्याओं से जुड़े 550 मामले निपटाए हैं। 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 के दौरान कुल 69 मामलों पर कार्यवाई की गई है जिनमें बहुतों को समाज में एक बेहतर ज़िन्दगी मुहैया करवाने में मंच ने सफलता हासिल की है। इनमें से 44 घरेलू कामगार बंधुआ मज़दूर थीं, 6 का वेतन रुका हुआ था, 5 यौन हिंसा व 2 मारपीट के मामले थे, 7 लापता थीं तथा 2 का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। दो अबोध बच्चे थे तथा एक को बाल कल्याणकारी कमेटी के संरक्षण रखा गया था। इनमें से अनेकों को *घरेलू कामगार मंच* के तहत मरिसि कॉन्वेंट के आश्रयघर में रखा गया जहां उनकी तब तक देखभाल की गई जब तक वे अपने परिवारों से मिल नहीं गईं।

राजधानी में घरेलू कामगारों को संगठित करने और उनसे जुड़े मामलों को संभालने के दौरान मंच को जिन चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना पड़ा वे कुछ इस प्रकार हैं:

- घरेलू कामगारों से कम सहयोग
- मालिकों का असहयोग
- दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गैर कानूनी नियोजन एजेंसियों की तीव्र बढ़ोत्तरी
- पुलिस विभाग का असंतोषजनक रवैया
- बचाव टीम और एजेंसियों, मालिकों के बीच संघर्ष
- पुलिस मालिक और एजेंसियों का पक्ष लेती है, कामगारों का नहीं
- विस्तृत इलाका और सीमित संसाधन

इन सब समस्याओं के बावजूद *घरेलू कामगार मंच* ने श्रम कमीश्नर व श्रम विभाग के साथ मिलकर घरेलू काम को नियंत्रित करने तथा दिल्ली क्षेत्र में कानूनी सुरक्षा दिलाने के लिए सतत् प्रयास किए हैं।

घरेलू कामगार मंच के सदस्यों का विश्वास है कि घरेलू कामगार कानून का पारित होना, इस असंगठित कामगार वर्ग समूह के अधिकारों को सुरक्षित कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल होगी।